(620)

RB/Estt. No. 34/2006

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2006/PM1/5 **New Delhi, dated 21.03.2006**

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Counting of service rendered in the old unit on 'own request transfer' for the purpose of qualifying service for promotion in new unit.

As the Railways are aware in terms of extant instructions staff transferred on request basis are treated as direct recruits in the new seniority unit/cadre for the purpose of seniority and the service rendered in the absorbing unit alone counts for eligibility wherever a minimum length of service is specified as a condition for consideration for promotion including promotion to general selection posts.

2. Both the federations viz. AIRF and NFIR have requested for reconsideration of the above instructions and have requested that the total service of the employee i.e. in the old as well as in the new unit/cadre should be taken into account for determining his eligibility for promotion in the new unit.

3. The matter has accordingly been considered by the Board and in partial modification of instructions contained in this Ministry's letter No.E(NG)I-96/PM4/14 dt.17.04.1997 decided that:-

(i) while persons who seek transfer on request basis will continue to be assigned bottom seniority in new unit/cadre as per the extant procedure, the service rendered by them in the old unit may be reckoned for determining their eligibility wherever a minimum length of service is prescribed as a condition for promotion including promotion to General Posts in the new unit, subject to the condition that the service so allowed to be counted does not exceed the length of service of their immediate senior in the new unit; and,

....2/-

(ii) the benefit of counting of service at (i) above will be applicable only in those cases where the staff join the new unit on request transfer in the same category of posts. For example this benefit will be admissible in a case where an ASM/SM in the old unit joins on request transfer in another unit as ASM but not in a case where a Commercial Clerk in the old unit joins on request transfer in another unit as Office Clerk.

4. These instructions will be applicable from the date of issue of this letter.

Please acknowledge receipt.

(J. S. Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I-2006/PM1/5 **New Delhi. Dated** 21**-03-2006**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi

10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. ED/Safety, Railway Board.

12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
13. Director General & Ex-officio General Manager, RDSO, Lucknow.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N) and MSR(V).
PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.
PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.
PSs to all EDs/JSs and IG/RPF.

D(OL), DPC-I&II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N), D(Safety), JDE(N), DE(R), JDE(Rep), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(RRB), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DD(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDE(D&A), DDV(A&P), DDE(Rep) I & II, DD(OL)I&II, E(D&A), E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, E(RRB), PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III & Code Revision Cell.

आरबी/स्था. सं. 34/2006

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I-2006/पी एम 1/5 नई दिल्ली, दिनांक 21.3.2006

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय :- नई इकाई में पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनार्थ 'स्वयं के अनुरोध पर' स्थानांतरण के मामले में पुरानी इकाई में की गयी सेवा की गणना.

जैसाकि रेलों को अवगत है, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अनुरोध के आधार पर स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को वरिष्ठता के प्रयोजन से नयी वरिष्ठता इकाई/संवर्ग में सीधी भर्ती कर्मचारी के रूप में माना जाता है और सामान्य प्रवरण पदों पर पदोन्नति सहित पदोन्नति हेतु विचार किए जाने की एक शर्त के रूप में, जहां कहीं न्यूनतम सेवावधि विनिर्दिष्ट हो, पात्रता हेतु सिर्फ समाहन इकाई में की गई सेवा की ही गणना की जाती है.

2. ए आई आर एफ तथा एन एफ आई आर, दोनों ही फेडरेशनों ने उपर्युक्त अनुदेशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और यह आग्रह किया है कि नई इकाई में पदोन्नति हेतु कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण करते समय पिछली इकाई के साथ-साथ नई इकाई/संवर्ग में की गई उसकी कुल सेवा की गणना की जानी चाहिए.

3. बोर्ड द्वारा मामले पर तदनुसार विचार किया गया है और इस मंत्रालय के 17.04.1997 के पत्र सं. ई (एन जी)I-96/पी एम 4/14 में अंतर्विष्ट अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया है कि:-

(i) हालांकि, अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार नई इकाई/संवर्ग में सबसे नीचे ही निर्धारित की जाएगी, तथापि, नई इकाई में सामान्य पदों पर पदोन्नति सहित पदोन्नति की एक शर्त के रूप में जहां-कहीं न्यूनतम सेवावधि निर्धारित हो, वहां उनकी पात्रता के निर्धारण हेतु उनके द्वारा पुरानी इकाई में की गई सेवा को गणना में लिया जा सकता है, बशर्ते गणना किए

....2/-

जाने के लिए इस प्रकार अनुमत सेवा नई इकाई में उनके आसन्न वरिष्ठ की सेवा की अवधि से अधिक न हो; और

(ii) उपरोक्त (i) में सेवा की गणना का लाभ केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां कर्मचारी नई इकाई में अनुरोध स्थानांतरण पर समान कोटि के पदों पर कार्यभार ग्रहण करें. उदाहरण के लिए यह लाभ ऐसे मामले में ग्राह्य होगा जहां पुरानी इकाई का कोई सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर अनुरोध स्थानांतरण पर किसी अन्य इकाई में सहायक स्टेशन मास्टर का पदभार ग्रहण करता है, परंतु यह लाभ ऐसे मामले में ग्राह्य नहीं होगा, जहां पिछली इकाई का कोई वाणिज्यिक क्लर्क अनुरोध स्थानांतरण पर अन्य इकाई में कार्यालय क्लर्क के रूप में पद भार ग्रहण करता है.

4. ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुसाईं)
निदेशक स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)I-2006/पी एम 1/5 नई दिल्ली, दिनांक 21.3.2006

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, आल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव,फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रामोटी आफिस एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)

...3/-

6. महासचिव, आल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली
11. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड
12. मुख्य आयुक्त, रेलवे संरक्षा, लखनऊ.
13. महानिदेशक एवं मुख्य पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड